न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20/2019 (राजसमन्द आर्डर)

भंवर सिंह पिता सुल्तान सिंह राजपूत, निवासी पुठोल, तहसील व जिला राजसमन्द।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स ललित मार्बल प्राईवेट लिमिटेड पीपरडा जरिये निदेशक/मैनेजर मैसर्स ललित मार्बल प्राईवेट लिमिटेड पीपरडा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)
3. खान एवं भू विज्ञान विभाग जरिये खनिज अभियन्ता खण्ड प्रथम, राजसमन्द(राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दिनांक
02–12–2019 प्रकरण सं0 276/2017

———::———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरना में आराजी नंबर 2, 3, 5, 6, 7 व 8 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के सह स्वामित्व, आधिपत्य व सहखातेदारी को होकर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर खनन हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की है एवं अवैध रूप से खनिज विभाग से पट्टा प्राप्त कर उसका नवीनीकरण करवा लिया है, जबकि खनिज विभाग को प्रार्थी की निजी खातेदारी की भूमि में प्रार्थी की सहमति के बिना खनन पट्टा स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि उसके द्वारा विधिवत जारी खनन पट्टे के आधार पर खनन कार्य किया जा रहा है तथा प्रार्थी के पूर्वाधिकारी चन्द्राबाई व अन्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। चन्द्राबाई की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ है। अर्थात चन्द्राबाई के वारिसान उसके द्वारा प्रदत्त अनापत्ति से विबन्धित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 02–12–2019 से प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 01–08–2017 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–12–2019 से पूर्व में जारी उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–12–2019 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा की तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के आधार पर निर्णय किये जाने का प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अपीलान्ट/प्रार्थी की खातेदार की है, रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी उक्त भूमि का खातेदार नहीं है तथा उसके पक्ष में जो खनन पट्टा जारी किया गया है, उसमें अपीलान्ट के खातेदारी का आंशिक रकबा आता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस अपीलान्ट के पक्ष में साबित होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें राजस्थान उच्च न्याया[illegible] पुरखाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 19–12–2021, AIR (S.C.) [illegible] Page 104, RRT (H.C.) 2011 Page

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested

861, AIR (S.C.) 1981 Page 711, RLW (H.C.) 2012 (4) Page 3498, SCC (S.C.) 2013 (4) Page 559, DNJ (H.C.) 2008 (1) Page 526 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें DNJ (H.C.) 2017 (2) Raj. Page 888, AIR 2006 (S.C.) Page 2628, RBJ (6) 1999 Page 468, CT 2008 (2) S.C. Page 278 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संख्या 2061 से 2064 में श्रीमती चन्द्राबाई पिता सादुलसिंह विवादित आराजियात की खातेदार दर्ज है तथा उसकी मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 754 दिनांक 12–05–2006 अपीलान्ट भंवरसिंह व उसके भाई लालसिंह व बहन सुन्दर कुंवर पिता सुल्तानसिंह के नाम स्वीकृत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न रजिस्टर्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र में विवादित आराजियात के सहखातेदारों द्वारा अपनी अनापत्ति दी गयी है, जिसमें प्रार्थी/अपीलान्ट भंवरसिंह के पूर्वाधिकारी चन्द्राबाई की भी अंगूठा निशानी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलान्ट विबन्धन के सिद्धान्त से प्रतिबंधित हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों AIR 1970 Supreme Court Page 150, AIR 1973 Supreme Court Page 205, AIR 1991 Supreme Court Page 1117 के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट को उनके पूर्वाधिकारी चन्द्राबाई द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आबद्ध माना है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–12–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:06 IST
Reason: SelfAttested